सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

128

एक सौ अठाईस्वां प्रतिवेदन

[विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 75वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन	विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 75वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई।	1
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	समिति के 75वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय (संसद और समन्वय प्रभाग) द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।	
परिशिष्ट-दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>
(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 75वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह एक सौ अठाईस्वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 75वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। विदेश मंत्रालय ने 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए 19.10.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के 75वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे 16.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। 75वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के मामले से संबंधित था।

2. समिति ने अपने 75वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में पांच टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। सभी पांच टिप्पणियों/सिफारिशों के लिए की गई कार्रवाई उत्तर 20 अक्टूबर, 2022 को सरकार से प्राप्त हुए थे। 75वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. समिति ने अपने 75वें प्रतिवेदन में नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों की जांच की। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसने माननीय समिति के विचारों को विधिवत नोट कर लिया है और वह समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। हालाँकि, समिति विदेश मंत्रालय को नए शासी बोर्ड के गठन से संबंधित मामले में सख्ती से निगरानी और हस्तक्षेप करने का निर्देश देती है, जिसे नवंबर, 2019 से पुनर्गठित नहीं किया गया है और नालंदा विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में यह विलम्ब का प्रमुख कारण रहा है। चूंकि नए शासी बोर्ड का अभी भी पुनर्गठन नहीं किया गया है, इसलिए समिति यह नहीं समझ पाई है कि विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 5 अगस्त, 2022 को लोक सभा के पटल पर किस प्रकार रखा।

4. समिति नोट करती है कि वर्ष **2019-20** और **2020-2021** के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वर्षों की निर्धारित तिथि के भीतर यानी **31** दिसंबर तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। इसलिए समिति विदेश मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के लंबित अपेक्षित दस्तावेजों को बिना किसी विलंब के सभा पटल पर रखा जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि न केवल नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार बल्कि इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज भी निर्धारित समय सम्बंधित वित्त वर्ष अर्थात **31** दिसंबर तक लोक सभा के पटल पर रखे जाएं।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

लोकसभा

परिशिष्ट-एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा) सत्रहवीं लोक सभा के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

समिति नोट करती है कि विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सदन के पटल पर रखने के भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 (3) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। समिति यह नोट कर अत्यधिक निराश है कि विदेश मंत्रालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-2019 के इन दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने की निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है, जो सदन के पटल पर 06 महीने से 20 महीने तक के विलंब से रखे गए थे। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए दस्तावेज, जिन्हें 31 दिसंबर, 2020 तक सदन के पटल पर रखा जाना आपेक्षित था, अभी तक नहीं रखे गए हैं।

(सिफारिश 15)

उत्तरः

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 31 और 32 के अनुसार, नालंदा विश्वविद्यालय (एनयू) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना होता है। भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के 212 (3) के अनुसार, इन प्रतिवेदनों को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर सभा पटल पर रखा जाना होता है।

मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17/12/2021(लोक सभा) और 16/12/2021 (राज्य सभा) को सभा पटल पर रखा जा चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 का यह प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2022 (लोकसभा) को और 04/08/2022 (राज्यसभा) को सभा पटल पर रखा गया था।

मंत्रालय ने माननीय समिति के विचारों का संज्ञान लिया और प्रतिवेदनों को समय पर पटल पर रखने के प्रयास करेगा।

[फाइल संख्या एए/संसद/125/87/2022 दिनांक 17/10/2022]

समिति नालंदा विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में 6 माह से 20 माह के विलंब के कारणों की जांच करते हुए इस बात से निराश है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को बंद करने के प्रारंभिक चरण में अनुचित विलंब हुआ था। लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में 10 से 21 माह तक का विलम्ब हुआ है। नियमित अंतराल पर शासी बोर्ड की बैठक का आयोजन न करना और भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वय न होने से विलंब और बढ़ गया है, जिसे एसओपी से टाला जा सकता था। समिति ने उक्त विलंबों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

(सिफारिश 16)

उत्तर:

मंत्रालय, निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रिपोर्ट रखने की सांविधिक आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तथापि, वर्ष 2015-21 के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए बाहरी परिस्थितियां थीं। वित्तीय समिति और

शासी बोर्ड जैसे वैधानिक निकायों की समयबद्ध बाधाओं जैसी प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ थीं, जो वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदन देते हैं। सीएजी द्वारा इन लेखाओं की लेखापरीक्षा और अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संकलन में लगने वाले समय से इसमें और विलंब हो हुआ।

इसकी स्थापना के आरंभिक वर्षों के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आंतरिक कार्य विभिन्न कारकों के कारण समुचित रूप से समेकित नहीं किया गया था और प्रत्येक चरण में धीमी प्रगति के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप सदन के समक्ष रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ है।

वर्ष 2019-21 के दौरान शासी बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण भी विलंब हुआ। पिछले शासी बोर्ड का कार्यकाल नवंबर 2019 में समाप्त हो गया और तब से इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। शासी बोर्ड के गठन में मुख्य बाधा विदेशी सदस्यों द्वारा वित्तीय अंशदान के वैधानिक प्रावधान के कारण हैं, जो इसकी सदस्यता से जुड़ा हुआ है। इससे विश्वविद्यालय के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर भी असर पड़ा है। मंत्रालय समय पर निपटान के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के इन संस्थागत मुद्दों की व्यापक जांच कर रहा है।

मंत्रालय ने माननीय समिति के विचारों का संज्ञान लिया है और रिपोर्टों को समय से सभा पटल पर रखने के प्रयास करेगा।

[फाइल संख्या एए/संसद/125/87/2022 दिनांक 17/10/2022]

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय, नालंदा विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं है। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अब से ये दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जाएं। समिति को इन निर्देशों के अनुपालन

और भविष्य में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश 17)

उत्तर :

मंत्रालय, शासी बोर्ड और वित्त समिति में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं के संकलन पर निगरानी तंत्र रखता है। यह समिति की सिफारिशों को नोट करता है और विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वैधानिक प्रावधानों का पालन करने का परामर्श देता है।

मंत्रालय ने माननीय समिति के विचारों का संज्ञान लिया है और प्रतिवेदनों को समय से सभा पटल पर रखने का प्रयास करेगा।

[फाइल सं. एए/संसद/125/87/2022 दिनांक 17/10/2022]

समिति, मंत्रालय पर यह भी दबाव डालती है कि यदि अपरिहार्य कारणों से नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा के पटल पर नहीं रखे जा सके; निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण 30 दिनों के भीतर या जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए।

(सिफारिश 18)

उत्तर:-

मंत्रालय ने इस सिफारिश को विधिवत रूप से नोट कर लिया है और यदि निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्टें नहीं रखी जाती हैं तो विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करने सम्बन्धी निदेशों का पालन करेगा।

<u>परिशिष्ट-2</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. श्री चौधरी मोहन जटुआ

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 75वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभ) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई;
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****